



भारतीय चुनावों में NOTA का वकिलप

प्रलम्बिस के लयि:

[लुकपरतनिधित्व अधनियम, 1951](#), [NOTA](#), नयिम 49-0, [भारत का नरिवाचन आयोग](#), सामान्य वतित्तीय नयिम, [भारत का सर्वोच्च न्यायालय](#), [राष्ट्रीय और राज्य सतरिय दल](#)

मेन्स के लयि:

'नरिवरिध नरिवाचति होने' के परणाम, लुकपरतनिधित्व अधनियम, 1951, NOTA की परभावशीलता

[स्रोत:इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चरचा में क्यो?

हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में [लुकसभा](#) चुनाव में एक उल्लेखनीय परणाम देखने को मला, जसिमें [NOTA \(उपरयुक्त में से कोई नहीं\)](#) वकिलप को 2 लाख से अधिक मत प्रापूत हुए, जो कसिी भी नरिवाचन क्षेतर में NOTA के लयि अब तक का सबसे अधिक मत परतशित है।

भारतीय चुनावों में NOTA क्या है?

परचिय:

- यह मतपत्रों और [इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों \(EVMs\)](#) पर मतदान का एक वकिलप है जो मतदाताओं को कसिी भी उम्मीदवार को चुने बना सभी उम्मीदवारों के परत अपनी असहमता दर्शाने की अनुमति देता है।
- NOTA मतदाताओं को मतदान के परत अपने नकारात्मक वचिर और दावेदारों के परत समर्थन की कमी को व्यक्त करने का अधिकार देता है।
- यह उन्हें अपने नरिणय की गोपनीयता बनाए रखते हुए [अस्वीकार करने का अधिकार](#) देता है।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में [वधि आयोग](#) ने 50%+1 मतदान परणाली के साथ-साथ नकारात्मक मतदान की अवधारणा की सफिराशि की, लेकिन व्यावहारिक चुनौतियों के कारण इस मामले पर कोई अंतिम सफिराशि नहीं दी गई।
- सर्तिंबर 2013 में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने [भारत के नरिवाचन आयोग \(ECI\)](#) को मतदाताओं की पसंद की गोपनीयता की सुरक्षा के उपाय के रूप में [NOTA](#) वकिलप पेश करने का नरिदेश दिया।
 - [पीपुल्स यूनयिन फॉर सविलि लबिर्टीज़ \(PUCL\)](#) ने वर्ष 2004 में मतदाताओं के 'गोपनीयता के अधिकार' की रक्षा के उपायों की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी।
 - उन्होंने तर्क दिया कि [नरिवाचनों का संचालन नयिम, 1961](#) ने गोपनीयता पहलू का उल्लंघन कयिा क्योकि पीठासीन अधिकारी (ECI से) उन मतदाताओं, जिन्होंने वोट नहीं देने का वकिलप चुना, के हस्ताक्षर या अंगूठे के नशान के साथ रकिॉर्ड रखता था।

NOTA का परथम परयोग:

- [NOTA का पहली बार परयोग वर्ष 2013 में](#) पाँच राज्यों छत्तीसगढ़, मज्जोरम, राजस्थान, दलिली और मध्य प्रदेश के वधिनसभा चुनावों में तथा बाद में वर्ष 2014 के आम चुनावों में कयिा गया था।
- इसे वर्ष 2013 में [PUCL](#) [?](#)[?](#)[?](#)[?](#) [?](#)[?](#)[?](#)[?](#) [?](#)[?](#)[?](#)[?](#) में [सर्वोच्च न्यायालय](#) के नरिदेश के बाद चुनावी परकरयिा में शामिल कयिा गया था।

यदि NOTA को सबसे ज़्यादा मत प्रापूत हो तो क्या होगा?

- [भारत का नरिवाचन आयोग](#) ने स्पष्ट कयिा कि [NOTA](#) के रूप में डाले गए वोटों की गनिती की जाती है, लेकिन उन्हें 'अमान्य वोट' माना जाता है।

- यदि NOTA को किसी नरिवाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त हों, तो ऐसी स्थिति में दूसरे सबसे अधिक वोट पाने वाले अगले उम्मीदवार को वजिता घोषित किया जाता है। अतः **NOTA** को दिये गए मत चुनाव के परिणाम को नहीं बदलते हैं।
- हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय **NOTA** को सबसे अधिक मत मिलने की स्थिति में दशा-नरिदेश/नयियों की मांग करने वाली एक याचिका पर वचार कर रहा है, जिसमें चुनाव को रद्द करने और नए चुनाव कराने की संभावना भी शामिल है।
 - महाराष्ट्र, हरियाणा और पुदुचेरी जैसे कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही **NOTA** को "काल्पनिक चुनावी उम्मीदवार" घोषित कर दिया है, जहाँ **NOTA** को बहुमत मिलने पर पुनः चुनाव कराए जाते हैं।

NOTA से संबंधित ऐतिहासिक नरिणय क्या हैं?

- **2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 1993:**
 - उच्चतम न्यायालय ने माना कि "मतदान किसी व्यक्ति द्वारा किसी वषिय या मुद्दे पर अधिकार का प्रयोग करने के लिये इच्छा या राय की औपचारिक अभिव्यक्ति है" और मत देने के अधिकार से तात्पर्य प्रस्ताव या संकल्प के पक्ष में या उसके वरिद्ध अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार से है।
 - ऐसा अधिकार तटस्थ रहने के अधिकार को भी दर्शाता है।
- **पीपुलस युनियन फॉर सविलि लबिर्टीज एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामला, 2013:**
 - उच्चतम न्यायालय ने EVM पर "इनमें से कोई नहीं" (**NOTA**) बटन का प्रावधान अनवार्य कर दिया है, ताकि मतदाता गोपनीयता बनाए रखते हुए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के प्रति असंतोष व्यक्त कर सकें।
 - न्यायालय की 3 जजों की बेंच ने कहा कि "चाहे मतदाता अपना मत डाले या न डाले, दोनों ही मामलों में गोपनीयता बनाए रखनी होगी।"
 - यह नरिणय मतदाताओं को सशक्त बनाकर तथा नषिपक्ष चुनाव को बढ़ावा देकर लोकतंत्र को बढ़ाने के लिये लिया गया।
- **2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2018:**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि प्रत्यक्ष चुनावों में **NOTA** का विकल्प उपयोगी हो सकता है, परंतु यह राज्यसभा चुनावों के लिये उपयुक्त नहीं है।
 - न्यायालय का मानना था कि इन चुनावों में **NOTA** का प्रयोग लोकतंत्र को हानि पहुँचा सकता है तथा दलबदल और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकता है।
 - इसलिये, न्यायालय ने राज्यसभा चुनाव से **NOTA** विकल्प हटा दिया।

अन्य लोकतांत्रिक देशों में **NOTA** जैसी पहल

- **यूरोपीय देश:** फिनलैंड, स्पेन, स्वीडन, फ्रांस, बेल्जियम, ग्रीस अपने मतदाताओं को **NOTA** के समान मत डालने की अनुमति देते हैं।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:**
 - संयुक्त राज्य अमेरिका में मतपत्रों पर औपचारिक **NOTA** विकल्प नहीं है, कुछ राज्य लिखित मतों की अनुमति देते हैं, जो समान उद्देश्य की पूर्तिकर सकते हैं।
 - मतदाता असंतोष की अभिव्यक्ति के रूप में "इनमें से कोई नहीं" या अन्य नाम लिख सकते हैं।
- **कोलंबिया, यूक्रेन, ब्राजील, बांग्लादेश जैसे अन्य देश भी मतदाताओं को **NOTA** पर मत डालने की अनुमति देते हैं।**
- **NOTA विकल्प के पक्ष में तर्क:**
 - मतदाताओं की पसंद को बढ़ाता है: **NOTA** विकल्प मतदाताओं को मतपत्र में सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की क्षमता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है, जिससे वे उपलब्ध विकल्पों के प्रति अपना असंतोष व्यक्त कर सकते हैं।
 - बढी हुई राजनीतिक जवाबदेही: **NOTA** का अस्तित्व राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों को बेहतर, अधिक सक्षम और अधिक नैतिक प्रतिनिधियों को मैदान में उतारने के लिये मजबूर करता है, क्योंकि मतदाताओं के असंतुष्ट होने पर उन्हें वोट खोने का जोखिम होता है।
 - मतदाता असंतोष की पहचान: **NOTA** वोट से चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को मतदाताओं के असंतोष के स्तर के बारे में बहुमूल्य फीडबैक मिल सकता है, जिसका समाधान किया जा सकता है।
- **NOTA विकल्प के वरिद्ध तर्क:**
 - **चुनावी मूल्य न होना:** **NOTA** वोट केवल प्रतीकात्मक है और चुनाव के परिणाम को प्रभावित नहीं करते हैं। भले ही **NOTA** को बहुमत प्राप्त हो, फिर भी सबसे अधिक वोट शेयर वाला उम्मीदवार जीतता है।
 - **दुरुपयोग की संभावना:** ऐसी चिंताएँ हैं कि **NOTA** विकल्प का दुरुपयोग मतदाताओं द्वारा उपलब्ध उम्मीदवारों को वास्तविक रूप से अस्वीकार करने के बजाय, प्रणाली के वरिद्ध वरिध व्यक्त करने के लिये किया जा सकता है।
 - **जातगति पूर्वाग्रह:** कुछ मामलों में आरक्षित नरिवाचन क्षेत्रों में **NOTA** को मल्लि अधिक वोट कुछ जातियों के उम्मीदवारों के प्रति पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं, जो **NOTA** के उद्देश्य को कमजोर कर सकते हैं।
 - **प्रतिनिधि लोकतंत्र को कमजोर करता है:** **NOTA** विकल्प प्रतिनिधि लोकतंत्र के सदिधांतों को कमजोर करता है, क्योंकि यह वजियी उम्मीदवार को स्पष्ट जनादेश प्रदान नहीं करता है।

आगे की राह

- **पुनरनरिवाचन:** यदि **NOTA** को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, तो उस नरिवाचन क्षेत्र में नए उम्मीदवारों के साथ पुनः चुनाव कराया जाना

चाहिये।

- उदाहरण के लिये वर्ष 2018 में महाराष्ट्र **राज्य चुनाव आयोग (SEC)** ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कथिदिNOTA को सबसे अधिक वैध मत प्राप्त होते हैं, तो चुनाव दोबारा होगा।
- **उम्मीदवारों पर प्रतिबंध:** NOTA से कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को पुनर्निर्वाचन में भाग लेने से रोक दिया जाएगा।
 - इसी प्रकार हरियाणा के SEC ने नगरपालिका चुनावों में **NOTA** को एक 'काल्पनिक उम्मीदवार' माना।
 - **NOTA** से कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को पुनर्निर्वाचन में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- **उम्मीदवारों पर लागत:** NOTA से हारने वाले राजनीतिक दलों को पुनर्निर्वाचन का खर्च वहन करना चाहिये। पुनर्निर्वाचन के दौरान बार-बार चुनाव होने से रोकने के लिये **NOTA** बटन को नष्क्रिय किया जा सकता है।
- **जागरुकता:** **NOTA** असहमति की आवाज़ प्रदान करता है, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिये मतदाता जागरुकता बढ़ाने के प्रयास महत्त्वपूर्ण हैं।





भारत निर्वाचन आयोग



Drishti IAS



परिचय

- स्वायत्त संवैधानिक निकाय
- लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन
- स्थापना- 25 जनवरी, 1950 (राष्ट्रीय मतदाता दिवस)

संवैधानिक प्रावधान


भाग XV-अनुच्छेद 324 से 329

संरचना

- 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त)
- **कार्यकाल** - 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
- **सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त**- सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र
- **मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना**- सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक के समर्थन से उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव

प्रमुख भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

- चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण
- मतदाता सूची तैयार करना और उसका पुनरीक्षण करना
- चुनाव कार्यक्रम और तारीखों को अधिसूचित करना
- राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दलों का दर्जा देना
- राजनीतिक दलों के लिये "आदर्श आचार संहिता" जारी करना



नषिकरषः

भारतीय चुनावों में **NOTA वकिलप ने मतदाता की पसंद**, राजनीतिक दलों की जवाबदेही और चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी के बारे में महत्त्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। यह मतदाताओं को मतदान करने और चुनाव का पूरी तरह से **बहषिकार कयि बना कसिी भी उम्मीदवार से अपनी स्वीकृति वापस लेने का एक तरीका** प्रदान करता है। इसका उद्देश्य वरिोध में डाले गए वोटों को औपचारिक रूप से गनिने योग्य बनाना है। यह राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के कषेत्र के प्रति लोकप्रयि असंतोष की डगिरी को दरशाता है।

दृषुटी भेनुस प्ररुशुनः

भारतीय चुनावों में NOTA (इनमें से कोई नहीं) वकिलप की प्रभावशीलता और चुनौतयिों पर चरुचा कीजयि। चुनावी प्रक्रया पर इसके प्रभाव का वशिलेषण कीजयि और इस संसुथागत तंतुर को मजुरूत करने के उपाय सुझाइये।

UPSC सविलि सेवा परीकषा, वगित वरुष के प्ररुशुन

??????????:

प्ररुशुन. नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2017)

1. भारत का नरुिवाचन आयोग पाँच-सदसुथीय नकियाय है।
2. संघ का गृह मंतुरालय, आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लयि चुनाव कारुयकरुम तय करता है।
3. नरुिवाचन आयोग मानुयता-प्राप्त राजनीतिक दलों के वभिाजन/वलिय से संबंधति वविाद नपिटाता है।

उपरुयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

??????????:

प्ररुशुन. भारत में लोकतंतुर की गुणता को बढाने के लयि भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रसुताव दयिा है। सुझाए गए सुधार कया हैं और लोकतंतुर को सफल बनाने में वे कसि सीमा तक महत्त्वपूर्ण हैं? (2017)

प्ररुशुन. आदरुश आचार संहतिा के वकिस के आलोक में भारत के चुनाव आयोग की भूमकिा पर चरुचा कीजयि। (2022)